निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जयपुर

प्रकरण संख्या 228/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

मंगलम बिल्ड डवलपर्स लि॰ जरिये रजिस्टर्ड आफिस 6 बी, मंजिल अपेक्स माल, लाल कोठी, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1 माफी मन्दिर श्री मुरलीधर जी वाके देह बहतनाम पुजारी सालगराम जी पुत्र सूरजबक्ष जाति ब्राह्मण निवासी कनकपुरा, तहसील व जिला जयपुर जरिये नेक्सट फेण्ड मुकेश मीणा पुत्र श्री फूलचन्द मीणा निवासी मीनावाला, तहसील व जिला जयपुर ।

2 श्री अनिल कुमार चौधरी आर॰ए॰एस॰ पीठासीन अधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर)

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 35/2011 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 25/2021 ब उनवानी माफी मन्दिर श्री मुरलीधर जी बनाम दामोदर व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः–

1. प्रार्थी राकेश कुमार अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री दिनेश पारीक अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 22.11.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) के समक्ष प्रकरण संख्या 35/2011 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 25/2021 ब उनवानी माफी मन्दिर श्री मुरलीधर जी बनाम दामोदर व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी 01 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश पारीक ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

जिला कलक्टर
जयपुर

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी॰पी॰सी॰ का इस आशय का पेश किया कि उक्त भूमि की 90 (बी) की कार्यवाही हो चुकी है। भू–खण्डों को विक्रय कर दिया है एवं जे॰डी॰ए॰ द्वारा पट्टे जारी कर दिये है तथा मौके पर निर्माण हो चुका है, इसलिए उक्त वाद पत्र को खारिज फरमाया जावे, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र के खारिज करते हुये अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने पर आमादा है तथा उक्त प्रकरण में छोटी छोटी तारीख दी जा रही है। अप्रार्थी संख्या 1 ने ऐलानिया धमकी दी है कि हमारी पीठासीन अधिकारी से बात हो गई है तथा उक्त प्रकरण में स्थगन आदेश जारी करा कर ही रहेंगे। प्रार्थी ने अप्रार्थी को कई बार पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आते जाते भी देखा है। प्रार्थी के प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में हस्तान्तरण नहीं किया गया तो प्रार्थी का न्याय प्रणाली से विश्वास ही समाप्त हो जावेगा। इसलिए न्याय हित मे प्रार्थी के उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में हस्तान्तरण करने की कृपा करें ।

5. अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी का आदेश 7 नियम 11 सी॰ पी॰ सी॰ उभय पक्ष को सुन कर निस्तारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन पत्रावली पर पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई जिससे मिलीभगत किये जाने की पुष्टि होती हो । प्रार्थी जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण मे विलम्ब करना चाहता है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय में भी लम्बी तारीखें लेने का प्रयास करता है और काल्पनिक व मिथ्या कथनों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक देरीना कर रहा है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

6. उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में प्रार्थी ने किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। प्रार्थीगण ने केवल मात्र कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस सम्बन्ध में न्यायिक न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18. एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं माना है। सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर व मनन करने पर यह परिलक्षित होता है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थीगण

जिला कलक्टर
जयपुर

द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 22.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर